राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(77)ग्रावि / नरेगा / Convergence-PWD / 2014 / Eo-58433 जयपुर, दिनांकः 28 MAR 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़क संयोजकता के तहत सीसी सड़क तथा ग्रेवल / डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य बाबत।

प्रसंगः– संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, भारत सरकार का पत्र क्रमांकः J11017 / 27/ 2016-RE-VII (FTS-353063) **दि. 06.03.2017 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़क संयोजकता के तहत सीसी सड़क तथा ग्रेवल / डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य बाबत निर्देश भिजवाये है, जिनकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

ये निर्देश मास्टर परिपत्र 2016–17 के बिन्दु संख्या 2.5.2.8 (e) तथा 2.5.3.2 (8) के क्रम में जारी किये गये है, जिनमें उच्च गुणवत्ता की ग्रामीण सड़क संयोजकता की कार्य करवाने पर जोर दिया गया है तथा सीसी सड़क के 10–15 वर्षो तक तथा ग्रेवल / डब्ल्यूबीएम सड़क के 5–10 वर्षो तक कार्यात्मक रूप से टिकाऊ होने का उल्लेख है।

साथ ही डिजाइन सेवा अवधि से पूर्व एक ही सड़क पर बार–बार निर्माण कार्य नहीं कराने तथा गैर पीएमजीएसवाई बसावटो को जोड़ने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दि. 17.11.2016 (जो कि विभागिय समसंख्यक पत्र दि. 22.12.2016 द्वारा भिजवाये गये है) में उल्लेखित मापदण्डों की पालना हेतु निर्देशित किया है।

कृपया सभी कार्यकारी एजेन्सियों को निर्देशित करावे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण सड़क संयोजकता के तहत ग्रेवल / डब्ल्यूबीएम सड़कों पर कम से कम 5 वर्ष तक तथा सीसी सड़कों पर कम से कम 10 वर्ष तक दोबारा सड़क निर्माण जिस भाग / लम्बाई में पूर्व में कराया जा चुका है, उसमें Repetitive Road Construction गतिविधि नहीं स्वीकृत की जावे। किसी भी ग्रामीण सडक के निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) बनाते समय सम्बन्धित अभियंता यह प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। अतः कार्य स्वीकृत किये जाते समय सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी से इस सम्बन्ध मे प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावे तथा इसे कार्य पत्रावली (Work File) का भाग बनाया जावे।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय जिला प्रभारी मंत्रीगण, समस्त राजस्थान ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिवगण, समस्त राजस्थान ।
5. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
9. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
11. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग इसी तरह की कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं हेतु कराने का श्रम करें।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, बाड़मेर।
13. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।
14. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस सह विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

F.No J-11017/27/2016-RE-VII (FTS-353063)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 6th March, 2017

To,

Addl. Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries
Rural Development Department/ Panchayati Raj Department
((In-Charge MGNREGA)
All States & UTs

Sub: Rural connectivity under Mahatma Gandhi NREGA; regarding taking up of Cement Concrete (CC) roads and Gravel/ WBM roads.

Madam/Sir,

Schedule I para 4.IV (ii) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, allows 'Providing all weather rural road connectivity to unconnected villages and to connect identified rural production centres to the existing pucca road network; and construction of pucca internal roads or streets including side drains and culverts within a village' The Annual Master Circular FY 2016-17 (2.5.2.8 (e)) further emphasizes that the'...rural road connectivity will be usable in all weather, only when the required technical inputs are given & compaction at optimum moisture content with power roller are carried out'. The need for quality of work of roads also has been reiterated in the AMC at para 2.5.3.2, whereas it has been mentioned that Cement Concrete (CC) roads should be functionally durable for 10 - 15 years and gravel/WBM roads for 5 - 10 years.

The Ministry has made training materials available as well as facilitated training for different works to be taken up under MGNREGA including rural connectivity. Nevertheless, it has been found that repetitive constructions over the same stretch of road are being taken up even much before the designed

PTO

serviceability period, which indicates poor adherence to technical specifications and quality control during construction process.

The Ministry has issued guidelines for construction of non-PMGSY roads vide circular no. P - 17026/ 1 /2015 - RC dated 17/11/2106 for all weather road connectivity to non-PMGSY habitations, under MGNREGS. The States may kindly ensure adherence to the prescribed standards as laid down in the guideline.

The States are further requested to ensure that the Implementation Agencies do not take up repetitive road construction activity for at least 5 years, in case of gravel/WBM roads and at least for 10 years in case of CC roads under Mahatma Gandhi NREGA on the same stretch on which road construction work has been done earlier.

A certificate to this effect will be obtained from the concerned technical personnel and kept as part of work file. States are requested to bring this to the knowledge of all concerned.

Yours faithfully,

7/3/17

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary (MGNREGA)

Encls :-As above

Copy to :–

PPS to SRD
PS to AS